



क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शन/2019-20

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

08 DEC 2021

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किये जाने के संबंध में।
प्रसंग :- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक J-11060/1/2018-RE-VI(361692) Dated 12-11-2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आधार आधारित (Seeded with Aadhar) राष्ट्रीय डाटा बेस (NDUW) संधारित किये जाने हेतु ई-श्रम पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसमें दिनांक 31.12.2021 तक पंजीकृत सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ प्राप्त हो सकेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत सभी लाभान्वित परिवारों को भी ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत किया जाना है ताकि मनरेगा श्रमिकों को भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा योजना लाभ प्राप्त हो सके।

ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण किये जाने की पात्रता, प्रक्रिया, प्राप्त होने वाले लाभ इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पात्रता :-

- I. 16-59 वर्ष की उम्र सीमा के गृह कार्य आधारित, स्वरोजगार, असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक।
- II. ऐसी उत्पादन/विपणन इकाइयां जिनमें 10 से कम श्रमिक नियोजित है व ऐसे श्रमिक जो कि ईएसआईसी एवं ईपीएफओ में भी पंजीकृत नहीं है।
- III. महात्मा गांधी नरेगा योजना से सम्बन्धित पंजीकृत सभी श्रमिक।

2. प्रक्रिया :- ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है।

- I. श्रमिक स्वयं अथवा, कॉमन सर्विस सेन्टर की सहायता से।
- II. पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक होगा।
- III. ग्राम पंचायतें सभी योग्य श्रमिकों को प्रोत्साहित कर पंजीकरण करवाने की योजना बनाए।
- IV. इस हेतु वार्ड मेम्बर, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम स्तरीय अन्य कार्मिक एवं स्वयं सहायता समूहों की सहायता से व कैम्प आयोजित कर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जावे।


3. प्राप्त होने वाले लाभ :-

- I. 31.12.2021 तक पंजीकृत होने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत रूपये 2.00 लाख राशि का दुर्घटना बीमा का लाभ।
- II. इस अभियान के दौरान श्रमिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) में भी पंजीकरण किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जावे।

अतः उक्त के संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2021-22 के अंत तक अधिकाधिक मनरेगा श्रमिकों का नामांकन ई-श्रम पोर्टल और पीएम-जेएवाई के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करावे। ताकि सभी श्रमिकों को उक्त योजनाओं का लाभ मिल सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(के.के. पाठक)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

